

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,  
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

पत्रांक 1778/अधि0/दो-29/2022

दिनांक 18 मई, 2022


- 1- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन)  
उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

विषय:-उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08-04-2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 (4) में अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों से अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प मांगे जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

2- इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-1748/अधि0/दो-29/2022 दिनांक 13-05-2022 के द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 (3) में विहित व्यवस्थानुसार परिवहन आयुक्त संगठन के प्रत्येक संवर्ग के लिए सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्य स्थल, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूचियाँ विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी हैं।


उपरोक्त सन्दर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 13-05-2022 के माध्यम से वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी पात्रता सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों/कार्मिकों से उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 (4) में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिकतम 10 इच्छित स्थानों के लिए विकल्प प्राप्त करते हुए दिनांक 15-05-2022 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

  
(सनत कुमार सिंह)  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।

संख्या:-1778(1)/समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड, शासन।
- 2- मुख्यालय में कार्यरत सम्बन्धित कार्मिक।
- 3- गार्ड फाईल।

  
(सनत कुमार सिंह)  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
उत्तराखण्ड।